न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य..वादीगण

बनाम

अफताब आलम एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
28.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.01.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 महम्मद हारून की मृत्यु दिनांक 17.10.2024 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृतक वादी सं0–01 महम्मद हारून अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने पीछे दो पुत्र नसीम हारून एवं समीम हारून तथा दो पुत्री निकहत प्रवीण एवं फातमा खातुन को छोडकर मरे है तथा उनकी पत्नी उनके जीवनकाल में ही मर चुकी है। अतः वादपत्र से मृतक वादी सं0–01 महम्मद हारूने का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करने की कृपा करे, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य..वादीगण

बनाम

अफताब आलम एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 28.02.2025	विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 महम्मद हारूनकी मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–01 महम्मद हारूनका नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम मृतक वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 09.04.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	